भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-352

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को बचाने के लिए पैकेज

***352. डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डीः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों को बचाने के लिए, जिनमें उत्पादन-कार्य बंद पड़ा है, किसी पैकेज के ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पैकेज में विद्युत कंपनियों को दिए गए ऋण की अवधि के पुनर्निर्धारण तथा उन्हें कम मूल्य पर ईंधन उपलब्ध कराया जाना शामिल है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे सभी विद्युत संयंत्रों में, जिनमें विभिन्न रुकावटों के कारण उत्पादन-कार्य बंद पड़ा है, किस तरह से यथाशीघ्र उत्पादन-कार्य आरंभ करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को बचाने के लिए पैकेज" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 352 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : बंद पड़ी गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को महत्वपूर्ण राहत, देश में घरेलू गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार ने ऐसे बंद पड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया है। तथापि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3221

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ओडिशा में विद्युत की स्थिति

3221. श्री अनुभव मोहंतीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा को कुल कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है;

(ख) राज्य द्वारा विद्युत की कितनी कमी का सामना किया जा रहा है;

(ग) राज्य में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय की प्रस्तावित योजना क्या है; और

(घ) राज्य में विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा 2015-16 के लिए प्रस्तावित योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्तमान वर्ष, 2014-15 (अप्रैल से नवंबर, 2014) के दौरान, ओडिशा में कुल ऊर्जा मांग 18,127 मिलियन यूनिट (एमयू) थी और ऊर्जा की कमी 344 एमयू थी।

(ग) और (घ) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणालियों की स्थापना द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88,537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य में निजी क्षेत्र में ओडिशा राज्य में स्थित 3,960 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि शामिल है जिसमें से 2,900 मेगावाट पहले ही चालू की जा चुकी है और 1,060 मेगावाट के 2016-17 तक चालू किए जाने की संभावना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओडिशा राज्य में राज्य क्षेत्र में किसी क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, ओडिशा को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने हेतु संभावित केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से 614 मेगावाट का हिस्सा प्राप्त होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने ओडिशा सहित राज्यों को अपने प्रत्याशित मांग आपूर्ति परिदृश्य के अनुसार अपनी मांग को पूरा करने के लिए बाजार से बिजली के लिए व्यवस्था करने की सलाह दी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3222

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

पी.जी.सी.आई.एल. के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राएं

3222. श्री सालिम अन्सारीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मितव्ययिता के सरकारी निदेशों के बावजूद पिछले दो वर्षों के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा विज्ञापन और प्रचार से संबंधित अधिकारियों ने विदेश यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो यात्रा किए जाने वाले देशों, यात्रा पर खर्च की गई राशि तथा प्रत्येक यात्रा के उद्देश्य सहित इन अधिकारियों की यात्राओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारी से यात्राओं हेतु पूर्वानुमति ले ली गई थी एवं यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पीजीसीआईएल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) में विज्ञापन और प्रचार से संबंधित अधिकारियों, जिन्होंने विगत दो वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान विदेश यात्रा की है, का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) : जी, हाँ ।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3222 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

क्रम सं.	नाम (सर्व/श्री)	देश	तारीख से	तारीख तक	उद्देश्य	कुल खर्च (रुपए)
1.	मुकेश कुमार सिन्हा, मुख्य प्रबंधक	बांग्लादेश	02 दिसंबर, 2012	05 दिसंबर, 2012	"द इंडिया शो" बीआईसीसी, ढाका, बांग्लादेश में भागीदारी	1,19,376

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3223

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी

3223. श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में गुणवत्तापरक विद्युत की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधन हेतु अब तक क्या-क्या पहलें की गई हैं;

(ग) क्या इसके लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा है और सरकार आवश्यकतानुसार विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु धनराशि कहां से जुटाएगी; और

(घ) सरकार द्वारा इस वर्ष और आने वाले वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत और जोड़े जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : लगभग सभी राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर होता है। तथापि, विद्युत की मांग और आपूर्ति के आधार पर यह राज्य-दर-राज्य में माह-दर-माह, दिन-प्रतिदिन और घंटा-दर-घंटा भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) : इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) वर्ष 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसमें से, 30.11.2014 तक पारंपरिक स्रोतों से 48,390 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से 31.10.2014 तक 8297 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त कर ली गई है।

(ii) 2016-17 तक 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का निर्माण। इसमें से, अक्तूबर, 2014 तक, 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण किया जा चुका है तथा 1,56,354 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।

(iii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में चौबीस घंटे सभी को विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है।

(iv) पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानि कम करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने और कृषि से संबंधित फीडरों को पृथक करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(v) मौजूदा विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कुल 29,367 मेगावाट के पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) और जीवन विस्तार/उन्नयन की योजना बनाई गई है।

(vi) ताप संयंत्रों द्वारा वर्धित उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके तथा कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

(vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।

(ix) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुकर बनाने हेतु पर्यावरण तथा वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

(ग) : उत्पादन कार्य लाइसेंस-रहित कार्यकलाप है और उत्पादन क्षमता के विकास के लिए अपेक्षित निधियों का प्रबंध करने का दायित्व विकासकर्ता का होता है।

(घ) : 18वें ईपीएस के मांग अनुमान के आधार पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट का उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान पारंपरिक स्रोतों से अनुमानित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि 17830 मेगावाट है। पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के कुल उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य में से नवंबर, 2014 तक, 48,390 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान, पारंपरिक स्रोतों से क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 40,047 मेगावाट है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3224

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ओडिशा में एन.टी.पी.सी. की परियोजना से
प्रभावित लोगों को लाभ

3224. श्री भूपिंदर सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एन.टी.पी.सी. छत्तीसगढ़ में रायगढ़ विद्युत संयंत्र के प्रभावित लोगों को सभी लाभ प्रदान कर रही है, यदि हां, तो ओडिशा में जीरो स्थल (जीरो प्वाइंट) पर परियोजना से प्रभावित लोगों को ऐसे ही लाभ प्रदान नहीं किए जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या सुंदरगढ़ जिले के दरलीपली में स्थित एन.टी.पी.सी. के संयंत्र में लोगों को सभी लाभ मिल रहे हैं जबकि झारसुगुडा, जो कि जीरो स्थल वाले गांवों का सीमान्त जिला है, के लोगों को वही लाभ नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इस समस्या का समाधन करेगा और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां। एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा स्थापित किए जा रहे लारा सुपर ताप विद्युत संयंत्र के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को सभी पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एवं आर) लाभ प्रदान कर रही है। चूंकि ओडिशा में लारा परियोजना के कोई पीएपी नहीं हैं, इसलिए ये लाभ वहां नहीं किए जा रहे हैं।

(ख) : आर एंड आर लाभ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रदान किए जाते हैं। दर्लीपल्ली परियोजना के लिए, सभी आर एंड आर लाभ सुन्दरगढ़ जिले के साथ-साथ झारसूगुड़ा जिले में पीएपी को समान रूप से प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) : उपर्युक्त (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3225

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

पारेषण परियोजनाओं में विलम्ब

3225. श्री सी. एम. रमेशः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मार्ग-अधिकार और वन संबंधी मंजूरी ऐसे दो प्रमुख कारक हैं जिनके कारण पारेषण परियोजनाओं का निष्पादनस्ट्रेंडिडहोता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ऐसी पारेषण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका काम उक्त दो कारणों से अटका पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा पारेषण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित एजेन्सियों के सहयोग से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): मार्ग-अधिकार एवं वन संबंधी स्वीकृतियां ऐसे दो प्रमुख कारक हैं जो पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन कोस्ट्रेंडिडकरते हैं। तथापि, संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके इन मुद्दों का समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गहन मानीटरिंग की जाती है।

(ग) : केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पारेषण यूटिलिटियों द्वारा पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार/ विभिन्न पारेषण यूटिलिटियों द्वारा वन, मार्ग-अधिकार इत्यादि जटिलताओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं।

- **(i) वन/पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण और मार्ग-संरेखण के लिए उपग्रह द्वारा चित्रण;**
- **(ii) मार्ग-अधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों का समाधान करने के लिए उच्च क्षमता पारेषण कारीडोरों का विकास, मल्टी-सर्किट/बंडल्ड कंडक्टर का प्रयोग;**
- **(iii) विद्युत की बड़ी मात्रा का अंतरण करने के लिए भूमि कारीडोर में मामूली वृद्धि करते हुए पारेषण वोल्टेज स्तर में वृद्धि करना, जिससे वन स्वीकृति एवं मार्ग-अधिकार आवश्यकताओं का अधिकतम प्रयोग;**
- **(iv) पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान, संबंधित राज्य सरकार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ लंबित मुद्दों पर कार्रवाई की जाती है।**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3226

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

3226. डॉ. सत्यनारायण जटियाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में विद्युत के उत्पादन, मांग, पूर्ति और कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और आगामी पांच वर्षों में इसकी अधिकतम अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी;

(ख) 'सेन्ट्रल पूल' से विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश को विद्युत उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु नीति, योजना और कार्यक्रम तथा समयावधि का ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा; और

(घ) देश में वे राज्य कौन-कौन से हैं जो अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर हैं और उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता तथा अधिशेष विद्युत कितनी-कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : चालू वर्ष 2014-15 (अप्रैल से नवंबर, 2014) के दौरान उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-। में हैं। चालू वर्ष (अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2014) के दौरान व्यस्ततमकालीन मांग तथा आपूर्ति और कमी के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-॥ में हैं। आगामी पाँच वर्षों में राज्य-वार अनुमानित अधिकतम मांग अनुबंध-III में है।

(ख) : राज्य-वार मांग और केंद्रीय पूल से विद्युत की आपूर्ति के ब्यौरे अनुबंध-IV में है।

(ग) : देश में विद्युत की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कराए गए 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) की मांग अनुमान के आधार पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट का उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, नवीकरणीय स्रोतों से नियोजित क्षमता अभिवृद्धि 30,000 मेगावाट है। इस क्षमता अभिवृद्धि से,

अखिल भारतीय आधार पर 18वें ईपीएस के अनुसार विद्युत की अनुमानित मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरी होने की संभावना है। 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, 12वीं योजना के दौरान लगभग 48,390 मेगावाट की कुल क्षमता जोड़ी गई है तथा 31.10.2014 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 8,297 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है।

भारत सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों के साथ संयुक्त पहल की है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने एवं कृषि फीडरों को पृथक करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(घ) : देश में कोई भी राज्य अपने स्वयं के राज्य उत्पादन स्टेशनों से अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। तथापि, केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों की सहायता से कुछ राज्य अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने में समर्थ हैं। किसी राज्य की आपूर्ति और मांग समय-समय पर अलग-अलग होती है और कुछ राज्यों के पास उनके मांग एवं आपूर्ति परिदृश्य पर निर्भर करते हुए किसी विशेष अवधि के दौरान अधिशेष विद्युत हो सकती है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3226 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य	30.11.2014 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू) 2014-15 (अप्रैल से नवंबर, 2014)*
बीबीएमबी	2884.3	7942.56
दिल्ली	3048.4	6261.75
हरियाणा	6411.59	19221.44
हिमाचल प्रदेश	5728.35	20368.26
जम्मू व कश्मीर	2844	11999.8
पंजाब	5731	16848.15
राजस्थान	9854.13	35875.65
उत्तर प्रदेश	18517.74	74842.24
उत्तराखण्ड	3426.35	8912.64
छत्तीसगढ़	14763	52741.54
गोवा	48	12.61
गुजरात	25415.41	71353
मध्य प्रदेश	16080	48903.56
महाराष्ट्र	26945	73035.24
आंध्र प्रदेश	18433.05	56278.53
कर्नाटक	9479.82	31880.81
केरल	2649.68	6028.44
पुडुचेरी	32.5	102.14
तमिलनाडु	13610.2	44908.07
अंडमान निकोबार	40.05	113.93
बिहार	3430	11287.46
डीवीसी	7033.2	16842.3
झारखण्ड	3270	9941.72
ओडिशा	9957.5	33756.53
सिक्किम	669	2897.02
पश्चिम बंगाल	9824	33082.88
अरुणाचल प्रदेश	405	985.89
असम	952.2	2942.49
मणिपुर	141	327.87
मेघालय	332	725.68
नागालैंड	75	145.95
त्रिपुरा	616.8	2530.91
भूटान (आयात)	0	4848.46
सकल योग	222648.27	707945.52

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन आधारित अनंतिम।

1. सीईए केवल परंपरागत स्रोतों (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) से उत्पादन की निगरानी करता है।

2. 01.04.2010 से 25 मेगावाट तक के स्टेशनों से उत्पादन की निगरानी नहीं की जा रही है।

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3226 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 के लिए राज्य-वार व्यस्ततम विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अप्रैल से नवंबर, 2014 (अनंतिम)				
राज्य/क्षेत्र	व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चण्डीगढ़	367	367	0	0
दिल्ली	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,403	1,403	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	2,521	2,017	-504	-20.0
पंजाब	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	10,188	10,077	-111	-1.1
उत्तर प्रदेश	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखण्ड	1,883	1,833	-50	-2.7
उत्तरी क्षेत्र	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	3,480	3,350	-130	-3.7
गुजरात	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	9,477	9,477	0	0.0
महाराष्ट्र	20,147	19,654	-493	-2.4
दमन एवं दीव	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	679	679	0	0.0
गोवा	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	44,166	42,757	-1,409	-3.2
आंध्र प्रदेश	7,144	6,549	-595	-8.3
तेलंगाना	7,884	6,648	-1,236	-15.7
कर्नाटक	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	13,663	13,498	-165	-1.2
पुडुचेरी	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	2,992	2,792	-200	-6.7
डीवीसी	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखण्ड	1,082	1,062	-20	-1.8
ओडिशा	3,814	3,764	-50	-1.3
पश्चिम बंगाल	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	82	82	0	0.0
अंडमान निकोबार	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	16,909	16,609	-300	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	139	126	-13	-9.4
असम	1,435	1,257	-178	-12.4
मणिपुर	141	138	-3	-2.1
मेघालय	350	338	-12	-3.4
मिजोरम	90	82	-8	-8.9
नागालैंड	140	118	-22	-15.7
त्रिपुरा	310	266	-44	-14.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,528	2,141	-387	-15.3
अखिल भारत	148,166	141,160	-7,006	-4.7

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3226 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत स्टेशन बस बारों में अखिल भारतीय और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत ऊर्जा आवश्यकता

(मिलियन यूनिट में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दिल्ली	35217	37529	40176	43023	46085
हरियाणा	52193	56681	60725	64820	69108
हिमाचल प्रदेश	10384	10901	11546	12228	12948
जम्मू व कश्मीर	15808	16298	17180	18172	19282
पंजाब	64450	69410	73032	76245	79626
राजस्थान	71166	77907	83914	89792	96149
उत्तर प्रदेश	125664	138854	152571	164997	178488
उत्तराखण्ड	12214	12751	13466	14223	15025
चणडीगढ़	2058	2165	2286	2414	2549
उत्तरी क्षेत्र	389153	422498	454897	485914	519260
गोवा	4517	4853	5205	5572	5966
गुजरात	101409	108704	116649	124937	133825
छत्तीसगढ़	22396	24222	25989	27833	29743
मध्य प्रदेश	72010	77953	83988	89152	94699
महाराष्ट्र	161695	169353	175870	187034	199001
दादर एवं नागर हवेली	5930	6286	6665	7064	7488
दमन एवं दीव	2700	2817	2976	3143	3320
पश्चिमी क्षेत्र	370655	394188	417342	444735	474042
आंध्र प्रदेश	119458	129767	140324	151743	164093
कर्नाटक	73036	78637	83917	89285	95059
केरल	24917	26584	28080	29595	31198
तमिलनाडु	111648	119251	128177	137815	148237
पुडुचेरी	3436	3586	3755	3929	4109
दक्षिणी क्षेत्र	332544	357826	384252	412367	442696
बिहार	25489	29447	32964	36982	41590
झारखण्ड	25990	27691	29592	31381	33287
ओडिशा	33113	35772	36999	38262	39667
पश्चिम बंगाल	64923	70352	76511	82571	89033
सिक्किम	504	528	544	581	601
पूर्वी क्षेत्र	150374	163790	176611	189777	204178
असम	8225	8947	9615	10313	11058
मणिपुर	1089	1241	1405	1571	1760
मेघालय	2108	2243	2396	2553	2678
नागालैंड	796	834	895	954	1019
त्रिपुरा	1297	1401	1514	1628	1751
अरुणाचल प्रदेश	545	552	580	611	644
मिजोरम	801	936	1031	1112	1196
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14862	16154	17435	18743	20106
अंडमान एवं निकोबार	356	366	390	415	443
लक्षद्वीप	49	52	55	57	59
अखिल भारत	1257589	1354874	1450982	1552008	1660783

****

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3226 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केंद्रीय पूल से विद्युत की मांग और आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	व्यस्ततम मांग 2014-15* (मेगावाट)	30.11.2014 की स्थिति के अनुसार आबंटन (मेगावाट)
चण्डीगढ़	367	176
दिल्ली	6,006	3,440
हरियाणा	9,152	2,509
हिमाचल प्रदेश	1,403	1,305
जम्मू व कश्मीर	2,521	2,086
पंजाब	11,534	2,296
राजस्थान	10,188	2,968
उत्तर प्रदेश	15,670	6,319
उत्तराखण्ड	1,883	914
छत्तीसगढ़	3,480	1,209
गुजरात	13,603	3,608
मध्य प्रदेश	9,477	5,214
महाराष्ट्र	20,147	6,990
दमन एवं दीव	297	320
दादर नागर हवेली	679	895
गोवा	501	522
आंध्र प्रदेश	7,144	1,905
तेलंगाना*	7,884	2,092
कर्नाटक	10,001	1,896
केरल	3,760	1,716
तमिलनाडु	13,663	4,096
पुडुचेरी	389	386
बिहार	2,992	2,789
डीवीसी	2,653	6,018
झारखण्ड	1,082	577
ओडिशा	3,814	1,735
पश्चिम बंगाल	7,544	1,548
सिक्किम	82	157
अरुणाचल प्रदेश	139	133
असम	1,435	819
मणिपुर	141	123
मेघालय	350	163
मिजोरम	90	74
नागालैंड	140	79
त्रिपुरा	310	105

* जून, 2014 से, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विभाजित होने के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संचयी आंकड़े जून, 2014 से हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3227

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

राजस्थान में विद्युत की क्षति

3227. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में विद्युत की क्षति को कम करने के लिए बनाई जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान में 42 प्रतिशत की क्षति हो रही है, यदि हां, तो कम्पनियां उसकी भरपाई कैसे करती हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत की क्षति की भरपाई उपभोक्ताओं से की जा रही है, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एटी एंड सी हानियों को सतत आधार पर कम करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई, 08 में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की शुरूआत की थी।

इस स्कीम में तीन भाग - भाग-(क), भाग-(ख) और भाग-(ग) शामिल हैं।

<u>भाग-क</u>

स्कीम का भाग (क) 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10,000) से अधिक जनसंख्या वाले सभी नगरों में विश्वसनीय और सत्यापन योग्य आधारभूत आँकड़ा प्रणाली प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली की स्थापना को समर्पित है। भाग (क) के अंतर्गत 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाले और 350 एमयू से अधिक के वार्षिक उर्जा इनपुट वाले शहरों के लिए स्काडा/डीएमएस लगाने की परिकल्पना भी की गई है। स्काडा प्रणालियाँ विद्युत आपूर्ति की गुणवता, विश्वसनीयता और दक्षता को सुधारने के लिए वैद्युत पैरामीटरों की वास्तविक समय में निगरानी तथा नियंत्रण को सक्षम बनाएंगी।

भाग-ख

भाग-(ख) नियमित उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजनाओं से संबंधित है। भाग-ख के लिए स्थायी आधार पर एटी एंड सी हानि कम करने पर जोर दिया गया है।

भाग-ग

आर-एपीडीआरपी में स्कीम के भाग-ग के माध्यम से यूटिलिटी कार्मिकों के क्षमता निर्माण और फ्रेन्चाइजियों के विकास का प्रावधान भी किया गया है। भाग-(ग) के अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड सहित नवाचार अपनाते हुए कुछ पायलट परियोजनाओं की परिकल्पना भी की गई है।

राजस्थान में सभी पात्र नगरों के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत स्कीमें मंजूर की गई हैं। इनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	घटक	मंजूर स्कीमें	मंजूरियाँ (रूपये करोड़)	संवितरण (रूपये करोड़ में)
1	भाग-क (आईटी)	87	315.94	130.19
2	भाग-क (एससीएडीए)	5	150.90	45.28
3	भाग-ख	82	1646.21*	231.09

*** भाग (ख) के अंतर्गत मंजूर किया गया भारत सरकार ऋण स्कीम की लागत का 25% है।**

(ख) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने अपनी "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" में एटी एंड सी हानियों की गणना की है। वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान राजस्थान राज्य के लिए समग्र एटी एंड सी हानियाँ नीचे दी गई हैं:

	2010-11	2011-12	2012-13
एटी एंड सी हानियाँ (%)	24.66	24.81	20.00

(ग) : पारेषण एवं वितरण हानियों की गणना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण करते समय की जाती हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3228

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

रुकी पड़ी विद्युत परियोजनाएं

3228. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्राकृतिक गैस की कमी, पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त न होने और भूमि अधिग्रहण और अन्य कारणों से बड़ी संख्या में विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए विभिन्न चरणों पर बंद पड़ी विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : गैस आधारित विद्युत संयंत्र, जो चालू नहीं हैं/निम्न संयंत्र भार कारक पर प्रचालन कर रहे हैं, की सूची अनुबंध में दी गई है। स्ट्रेंडिड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को महत्वपूर्ण राहत देश में घरेलू गैस की वर्द्धित उपलब्धता में वृद्धि पर निर्भर करती है। सरकार ने ऐसे स्ट्रेंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न विकल्पों की खोज की है। तथापि, अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3228 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

स्ट्रेंडिड गैस आधारित विद्युत स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
क. पूर्व प्रभावी केजीडी6 गैस आधारित विद्युत स्टेशनों की सूची			
केंद्रीय क्षेत्र			
1.	रत्नागिरि (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र
राज्य क्षेत्र			
2.	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात
3.	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात
निजी क्षेत्र			
4.	वातवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात
निजी आईपीपी क्षेत्र			
5.	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली
6.	एस्सार सीसीपीपी	300	गुजरात
7.	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात
8.	सुगेन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात
9.	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश
10.	जीएमआर-काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
11.	जेगुरुपदु सीसीपीपी (जीवीके)	220.5	आंध्र प्रदेश
12.	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश
13.	कोंडापल्ली एक्स. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
14.	वेमागिरि सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश
15.	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
16.	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
17.	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश
18.	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
	उप योग (क)	6997.0	आंध्र प्रदेश
ख. बिना किसी गैस आवंटन के चालू हुईं परियोजनाएं			
राज्य क्षेत्र			
1.	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
2.	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात
3.	धुवारन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	376.3	गुजरात
4.	हजीरा सीसीपीपी एक्स.	351	गुजरात
निजी आईपीपी क्षेत्र			
5.	उनोसुगेन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
6.	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात
	उप योग (ख)	3761.8	
ग. चालू होने के लिए तैयार और बिना गैस आवंटन वाली परियोजनाएं			
निजी क्षेत्र			
1.	जीएमआर वेमागिरि एक्सपेंशन	768	आंध्र प्रदेश
2.	कोंडापल्ली एक्सपेंशन स्टे.-II	742	आंध्र प्रदेश
3.	सामलकोट एक्सपेंशन	2400	आंध्र प्रदेश
4.	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	116	आंध्र प्रदेश
ग. चालू होने के लिए तैयार और बिना गैस आवंटन वाली परियोजनाएं			
निजी क्षेत्र			
5.	आस्था द्वारा गैस इंजन	35	तेलंगाना
6.	काशीपुर श्रावंथी स्टे.-I एवं II	450	उत्तराखण्ड
7.	बीटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
8.	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
9.	पायोनियर गैस पावर लि. द्वारा सीसीजीटी	388	महाराष्ट्र
	उप योग (ग)	5349.0	
कुल स्ट्रेंडिड गैस आधारित परियोजनाएं (क+ख+ग)		16107	

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3229

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि

3229. श्री मोहम्मद अली खानः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषकर आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को तथा विद्युत कम्पनियों को अपने-अपने विद्युत प्रशुल्क बढ़ाने की शक्तियां प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसी वृद्धि से देश के गरीब लोगों, विशेषकर जनजातियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं। केंद्र सरकार के पास इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि वितरण कंपनियों का प्रशुल्क विद्युत अधिनियम, 2003 और इसके अंतर्गत बना गई नीतियों के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के आधार पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा विद्युत प्रशुल्क के सीधे विनियमन का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार उपयुक्त नीतिगत कार्य ढांचे और कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की कुल लागत को तर्कसंगत बनाने और कम करने के विचार से उत्पादन, पारेषण और वितरण व्यापार में दक्षता को प्रोत्साहित कर रहा है, प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से प्रशुल्क प्राप्त कर रही है और वितरण और पारेषण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को भी प्रोत्साहित कर रही है।

2013-14 के लिए योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के प्रशुल्कों को दर्शाते हुए विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : उपर्युक्त (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3229 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उपभोक्ता श्रेणी-वार औसत टैरिफ, वार्षिक योजना 2013-14

(पैसे/किलोवाट घंटे में)

क्रम सं.	विद्युत बोर्ड/विद्युत विभाग	घरेलू	व्यावसायिक	कृषि	औद्योगिक	रेलवे ट्रेक्शन	बाहरी राज्य	कुल औसत
1	आंध्र प्रदेश	473.86	1128.49	44.25	535.88	553.91	0	547.21
2	असम	435	623	446.71	537	0	250	478.2
3	बिहार	328.9	799.25	410.55	671.12	679.65	435.75	515.66
4	छत्तीसगढ़	286	590	154	480.82	541.18	281	335.09
5	गुजरात	462.05	595.58	217.56	607.9	633.29	387.46	462.78
6	हरियाणा	437.13	554.42	46.48	573.01	570.2	0	401.49
7	हिमाचल प्रदेश	309.7	612.05	0	430.77	0	558.66	447.46
8	जम्मू व कश्मीर	181.56	348.8	168.5	340.92	0	0	386.36
9	झारखण्ड	236	595	74	632.24	610	0	415.9
10	कर्नाटक	422.84	784.31	306.73	610.18	0	0	476.92
11	केरल	281.09	777.12	172.94	567.86	505.29	0	441.99
12	मध्य प्रदेश	474.7	716.51	350.7	580.61	736.5	0	423.52
13	महाराष्ट्र	524.21	1110.65	258.33	771.81	835.78	0	582.3
14	मेघालय	313.59	474.28	179.41	429.38	0	236.57	378.74
15	पंजाब	424.23	616.84	0	586.68	613.79	43.25	367.03
16	राजस्थान	549.6	729.44	180.57	582.25	535.98	417.01	429.65
17	तमिलनाडु	255.53	856.29	0	735.76	0	325	493.26
18	उत्तर प्रदेश	435.06	463.59	224.18	736.35	747.72	0	508.83
19	उत्तराखण्ड	283.16	450.13	228.65	413.46	502.14	0	383.64
20	पश्चिम बंगाल	540.25	716.02	415.22	650.45	710.87	172.29	580.85
	राज्य विद्युत बोर्डों का औसत	410.55	770.1	183.09	628.11	663.85	324.1	481.25
21	अरुणाचल प्रदेश	360	449.85	0	336.54	0	350	358.65
22	गोवा	149.54	268.01	106.11	488.62	0	405.26	368.46
23	मणिपुर	256.37	344.64	165.19	257.2	0	211.71	282.05
24	मिजोरम	322.66	496.34	0	474.12	0	375	452.51
25	नागालैंड	340	450	0	350.29	0	300	382.94
26	पुडुचेरी	137.89	476.71	2.83	481.67	0	334.58	375.64
27	सिक्किम	270.06	491.96	0	639.98	0	252.73	305.87
28	त्रिपुरा	344	491	554.59	518.04	0	422.02	475.28
	विद्यत विभागों का औसत	230.24	364	125.9	479.2	0	338.07	379.8

स्रोत: राज्य बिजली कम्पनियों और विद्युत विभागों के कार्यकरण पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2013-14)।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3230

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

संसद सदस्यों के पत्रों पर कार्रवाई

3230. श्री गुलाम रसूल बलियावीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अगस्त, 2014 से लेकर आज की तारीख तक मंत्री जी को संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने पत्रों के द्वारा संसद सदस्यों को अंतरिम और अंतिम उत्तर भेजे गए हैं;

(ग) कितने पत्रों पर कार्रवाई की गई है और कितने पत्रों पर कार्रवाई अभी भी लम्बित हैं;

(घ) कितने पत्रों के जिनके लिए संसद सदस्यों को न तो उत्तर भेजे गए हैं और न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऊपर भाग (घ) में दी गई स्थिति से बचने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विद्युत मंत्री द्वारा अगस्त, 2014 से संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के संबंध में सूचना निम्नवत है:

(i)	अंतरिम उत्तर/भेजी गई पावती	209
(ii)	भेजे गए अंतिम उत्तर	138
(iii)	जिन पत्रों का उत्तर दिया जाना है	58
कुल पत्रों की संख्या		405

उत्तर हेतु लंबित अधिकांश पत्र जन शिकायतों, स्थानांतरण अनुरोधों, कोयला ब्लॉकों के वितरण आदि से संबंधित हैं, जिन पर मंत्रालयों और संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विद्यमान नीति के अनुसार कार्रवाई की जानी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3231

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

3231. डॉ. संजय सिंहः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में अनुमानतः कुल कितने मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी; और

(घ) देश में विद्युत की भावी आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यनीति तैयार की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारंपरिक स्रोतों से उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 88,537 मेगावाट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दो वर्ष और 8 महीनों में दिनांक 30.11.2014 तक यह उपलब्धि 49,390.1 मेगावाट अर्थात् लक्ष्य का 55.8% है।

(ग) : 18वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण रिपोर्ट (ईपीएस) के अनुसार, 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2021-22) के दौरान देश में अनुमानित व्यस्ततम विद्युत भार 2,83,470 मेगावाट है।

(घ) : देश की भावी विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की कड़ी निगरानी, नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर जोर, पुराने विद्युत संयंत्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उनका नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम), विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला और गैस उपलब्ध कराने के प्रयास और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन, ऊर्जा दक्षता और मांग पक्ष प्रबंधन उपाय शामिल हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3232

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

उत्पादन नहीं करने वाले विद्युत संयंत्र

3232. श्री किरनमय नन्दाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कुछ विद्युत संयंत्रों में साल के कुछ महीने किसी न किसी कारण से उत्पादन नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनकी विद्युत उत्पादन की दैनिक संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) विद्युत संयंत्रों में उत्पादन नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास संयंत्रों में साल भर उत्पादन चालू रखने हेतु कोई योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी हाँ। वर्ष 2014-15 (नवंबर 2014 तक) उत्पादन न करने वाले विद्युत संयंत्रों की संख्या सहित उनकी उत्पादन क्षमता का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) : विद्युत संयंत्रों में उत्पादन नहीं होने के मुख्य कारणों में गैस का उपलब्ध न होना, जल का कम बहाव, जल और डीजी ईंधन आधारित स्टेशन के लिए उत्पादन की अधिक लागत के कारण लाभग्राही राज्य से कार्यक्रम की कोई सूचना न होना और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) कार्यों के लिए बंदी थे।

(घ) : सरकार सालभर में विद्युत संयंत्रों को उत्पादक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :-

1. **विद्युत क्षेत्र को ईंधन की बेहतर उपलब्ध करवाना।**
2. **विद्युत संयंत्रों द्वारा बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण पद्धतियाँ अपनाना।**
3. **संबंधित विद्युत यूटिलिटियों द्वारा मौजूदा पुराने थर्मल और हाइड्रो विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।**

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3232 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 (नवंबर, 2014 तक) विद्युत केंद्रों से "शून्य" उत्पादन का ब्यौरा

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	30.11.2014 की स्थिति के अनुसार उत्पादक क्षमता (मेगावाट)
1.	काटघोरा टीपीपी	35
2.	एसवीपीएल टीपीपी	63
3.	बेला टीपीएस	270
4.	जीईपीएल टीपीपी फेज-I	120
5.	मिहान टीपीएस	246
6.	नासिक (पी) टीपीएस	270
7.	बरौनी टीपीएस	210
8.	चीनाकुरी टीपीएस	30
9.	चंद्रपुर (असम) टीपीएस	60
10.	रिठाला सीसीपीपी	108
11.	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200
12.	एस्सार सीसीपीपी	515
13.	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351
14.	पीपावाव सीसीपीपी	702
15.	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5
16.	वाटवा सीसीपीपी	100
17.	रत्नागिरी सीसीपीपी-I	740
18.	रत्नागिरी सीसीपीपी-II	740
19.	रत्नागिरी सीसीपीपी-III	740
20.	गौतमी सीसीपीपी	464
21.	जीएमआर एनर्जी लि. - काकीनाडा	220
22.	कोनासीमा सीसीपीपी	445
23.	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366
24.	वेमागिरी सीसीपीपी	370
25.	मैथॉन जीटी (लिक्वि.)	90
26.	पम्पोर जीपीएस (लिक्वि.)	175
27.	हल्दिया जीटी (लिक्वि.)	40
28.	कस्बा जीटी (लिक्वि.)	40
29.	एलवीएस पावर डीजी	36.8
30.	ब्लगॉम डीजी	81.3
31.	येलहंका (डीजी)	127.92
32.	लीमाखोंग डीजी	36
33.	डीएई (राजस्थान)	100
34.	कुद्दीयाडी अतिरिक्त एक्सटें.	100
35.	भवानी बैराज-III एचपीएस	30
		9604.52

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3233

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में पदों का सहभाजन

3233. श्री विजय गोयलः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ब्यास परियोजना व भाखड़ा कॉम्पलैक्स हेतु भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) में पदों के सहभाजन (शेयरिंग) हेतु बीबीएमबी द्वारा इसके नियम 1974 के नियम 7 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले में निर्णय लेने हेतु कोई समय सीमा निर्धरित की है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, हाँ। ब्यास परियोजनाओं और भाखड़ा कॉम्प्लेक्स में पदों की शेयरिंग के संबंध में बीबीएमबी द्वारा बीबीएमबी नियमावली, 1974 के नियम 7 के अंतर्गत तैयार किया गया प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, भागीदार राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच असहमति होने के कारण इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3234

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड में शून्य आधरित बजट व्यवस्था लागू करने हेतु समिति

3234. श्री विजय गोयलः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बीबीएमबी में शून्य आधरित बजट व्यवस्था पर कवायद करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिसमें खर्चा कम किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या बीबीएमबी ने इन सुझावों को लागू किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु बीबीएमबी को निर्देश देने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं । भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) ने सूचित किया है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में शून्य आधारित बजट प्रणाली से संबंधित कार्य करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी ।

(ख) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3235

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और अन्य व्यक्तियों के लिए पृथक फीडर

3235. डॉ. के. पी. रामालिंगमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विद्युत आपूर्ति के न्यायसंगत बनाने के कार्य को सुकर बनाने के उद्देश्य से किसानों और अन्य व्यक्तियों के लिए पृथक-पृथक फीडर बनाने की परिकल्पना वाली 43,033 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आज से दो वर्ष बाद विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण उपभोक्ताओं और किसानों के लिए अटकलबाजी का विषय नहीं रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने 43033 करोड़ रुपए के कुल निवेश से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना के संवर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग के अलावा, यह योजना गांवों में विद्युत आपूर्ति में सुधार करने के लिए गैर कृषि फीडरों से कृषि फीडरों को अलग करने पर भी जोर देती है।

(ग) और (घ) : इस योजना में ग्रामीण घरों को चौबीस घंटे विद्युत देने और कृषि के उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत देने के लिए राज्य विद्युत युटिलिटी को समर्थ बनाने पर विचार किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3236

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

3236. श्री रामदास अठावलेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार चालू वित्त वर्ष में पूर्ण किए जाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की राज्य-वार अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) सरकार किन परियोजनाओं की स्थापित क्षमता में वृद्धि का विचार रखती है और इस हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दिनांक 15.12.2014 की स्थिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी की गई/पूरा किए जाने के लिए लक्षित ताप और हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की राज्य-वार नवीनतम स्थिति क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

(ख) और (ग) : जिन परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है और निर्माणाधीन विस्तार यूनिटों का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है। जल विद्युत परियाजनाएं जो पहले स्थापित परियोजनाओं का विस्तार है, वर्तमान में निर्माणाधीन नहीं है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3236 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 में पूर्ण की गई/पूर्ण की जाने वाली थर्मल परियोजनाओं का ब्यौरा					
राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	वास्तविक रूप से चालू की गई
	केंद्रीय क्षेत्र				
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-5	660	मार्च-15	
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपें.	यू-3	195	मार्च-15	
गुजरात	धुवरन सीसीपीपी-III	ब्लॉक-1	376.1	-	21.05.14
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी	यू-1	500	फर.-15	
तमिलनाडु	तूतीकोरिन जेवी	यू-2	500	मई-15	
त्रिपुरा	पालाटना	ब्लॉक-2	363.3		16.11.14
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	यू-1	600		24.08.14
	राज्य क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	यू-1	800		28.08.14
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	यू-2	800	जन.-15	
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-2	500	मार्च-15	
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	यू-8	500	मार्च-15	
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-8	660	मार्च-15	
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-9	660	जुला.-15	
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपें.	यू-8	250	मार्च-15	
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी)	यू-2	600		15.10.14
राजस्थान	कालीसिंध	यू-1	600		02.05.14
राजस्थान	कालीसिंध	यू-2	600	जन.-15	
राजस्थान	रामगढ़	एसटी	50		01.05.14
राजस्थान	छाबड़ा	यू-4	250		30.06.14
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी	यू- 6	500	मार्च-15	
	निजी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	जन.-15	
आंध्र प्रदेश	विजग टीपीपी	यू-1	520	जून-15	
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक कोरबा	यू-1	25	मार्च-15	
	सलोरा टीपीपी	यू-1	135		10.04.14
	बंदाखार टीपीपी	यू-1	300	फर.-15	
	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	यू-2	600		22.08.14
गुजरात	डीजीईएन सीसीपीपी	ब्लॉक-II	400	-	23.04.14
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	यू-3	270	फर.-14	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-2	270	जन.-15	
	धारीवाल	यू-2	300		28.05.14
	टिरोडा टीपीपी फेज-II	यू-3	660		25.09.14
मध्य प्रदेश	ससन यूएमपीपी	यू-1 (चौथी यूनिट)	660		21.05.14
मध्य प्रदेश	ससन यूएमपीपी	यू-5	660		24.08.14
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	यू-1	660		29.08.14
ओडिशा	देरांग	यू-1	600		10.05.14
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	यू-2	700		06.07.14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-1	660		17.06.14
		यू-2	660		
तमिलनाडु	मेलामरूथूर	यू-1	600	मार्च, 2015	02.12.14
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी-I	यू-1	300	जनवरी, 2015	

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3236 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 में पूरी की गई/पूर्ण की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना/राज्य का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	कार्यक्रम के अनुसार चालू किया जाना	वास्तविक (ए)/प्रत्याशित	टिप्पणियां
	क. केंद्रीय क्षेत्र					
1	पारबती-III एनएचपीसी, 4x130= 520 मेगावाट हिमाचल प्रदेश	यूनिट # 4	130	अग.-14	22.05.2014	चालू की गई
2	रामपुर एसजेवीएन, 6x68.67 = 412 मेगावाट हिमाचल प्रदेश	यूनिट # 3 यूनिट # 4 यूनिट # 6	68.67 68.67 68.67	जून 14 मई 14 अप्रै. 14	31.07.2014 12.06.2014 04.12.2014	चालू की गई
	ख. राज्य क्षेत्र					
3	लोअर जुराला टीएसजीईएनसीओ, 6x40= 240 मेगावाट, तेलंगाना	यूनिट # 1 यूनिट # 2 यूनिट # 3 यूनिट # 4	40 40 40 40	जुला.-14 जुला.-14 अक्तू.-14 मार्च-15		यूनिट#1 तथा #2 को आंशिक लोड पर क्रमशः 29.12.2013 और 10.01.2014 को ग्रिड सो जोड़ा गया। जल की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण लोड पर चालू नहीं किया जा सका। यूनिट# 1 से यूनिट# 3. को ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पावर हाउस में 30.07.2014 को बाढ़ का पानी आ गया। चालू करने का कार्यक्रम मई 2015-16 तक आगे बढ़ सकता है।
4	नागार्जुन सागर एपजैंको, 2x25= 50 मेगावाट, आंध्र प्रदेश	यूनिट # 1 यूनिट # 2	25 25	सितं.-14 दिसं.-14	दिसं.-14 दिसं.-14	
ग.	निजी क्षेत्र					
5	जोरथांग लूप डैंस प्रा. लि., 2x48= 96 मेगावाट, सिक्किम	यूनिट # 1 यूनिट # 2	48 48	फर.-15 मार्च-15	फर.-15 मार्च-15	
6	तीस्ता-III तीस्ता ऊर्जा, 6x200= 1200 मेगावाट, सिक्किम	यूनिट # 6	200	मार्च-15	मार्च-15	

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 22.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3236 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा जिनकी क्षमता बढ़ा दी गई है					
राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वास्तविक कार्यक्रम	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम
केंद्रीय क्षेत्र					
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	यू-5	660	अक्तू.-13	मार्च-15
झारखण्ड	बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें.	यू-1	500	दिसं.-11	सितं.-15
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी फेज-II	यू-3	660	मार्च-16	अप्रै.-17
		यू-4	660	सितं.-16	जून-17
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी फेज-V	यू-13	500	अग.-15	अक्तू.-15
तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	यू-2	250	जून-09	अग.-15
उत्तर प्रदेश	ऊंचाहार स्टेज-IV	यू-6	500	दिसं.-16	जून-17
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-II	यू-1	660	अग.-17	2018-19
		यू-2	660	जन.-18	2018-19
राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टेज-IV	यू-6	600	जुला.-14	दिसं.-16
बिहार	बरौनी टीपीएस एक्सटें.	यू-1	250	मई-14	नवं.-15
		यू-2	250	जुला.-14	फर.-16
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें.	यू-3	250	अक्तू.-13	मार्च-15
		यू-4	250	जन.-14	जून-15
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	यू-3	700	अग.-14	नवं.-15
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	यू-8	500	जून-12	मार्च-15
		यू-9	500	सितं.-12	जुला.-15
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-8	660	दिसं.-13	मार्च-15
		यू-9	660	जून-14	जुला.-15
		यू-10	660	दिसं.-14	फर.-16
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपें.	यू-8	250	जन.-12	मार्च-15
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	यू-5	660	जून-16	अप्रै.-17
राजस्थान	सूरतगढ़ टीपीएस	यू-7	660	सितं.-16	अप्रै.-17
		यू-8	660	दिसं.-16	जुला.-17
तेलंगाना	काकातिया टीपीपी एक्सटें.	यू-1	600	जुला.-12	दिसं.-15
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी	यू- 6	500	मार्च-11	मार्च-15
		यू-7	500	जून-11	अग.-15
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी-II	यू-3	500	जुला.-14	सितं.-15
		यू-4	500	अक्तू.-14	दिसं.-15
निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी टीपीपी फेज-II	यू-4	150	फर.-12	जन.-15
आंध्र प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	मई-12	अग.-16
		यू-4	350	अग.-12	नवं.-16
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	जन.-13	2017-18
		यू-4	660	मार्च-13	2017-18
झारखण्ड	मैत्रिषी उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	फर.-13	13वीं योजना
		यू-4	270	मार्च-13	13वीं योजना
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	जुला.-14	13वीं योजना
		यू-2	270	सितं.-14	13वीं योजना
		यू-3	270	नवं.-14	13वीं योजना
		यू-4	270	जन.-15	13वीं योजना
		यू-5	270	मार्च-15	13वीं योजना
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	अप्रै.-13	13वीं योजना
		यू-2	270	जून-13	13वीं योजना
		यू-3	270	अग.-13	13वीं योजना
		यू-4	270	अक्तू.-13	13वीं योजना
		यू-5	270	दिसं.-13	13वीं योजना

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3237

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता का बढ़ाया जाना

3237. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य अपने प्रयासों से विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए निजी भागीदारों के सहयोग से विद्युत क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में कोई धनराशि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निजी साझेदारी में विद्युत परियोजना शुरू की है। त्रिपुरा में 726.6 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना चालू की गई है। सिक्किम में 2120 मेगावाट की कुल क्षमता की चार विद्युत परियोजनाएं और अरुणाचल प्रदेश में 144 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3238

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं का शुरू किया जाना

3238. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक समिति ने विद्युत परियोजनाओं को शुरू किए जाने की तारीख को एक वर्ष आगे बढ़ा देने और पहले से सरल निधियन नियमों के कार्यान्वयन सहित कई कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इस तारीख को दो वर्ष आगे बढ़ा देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर (एपीपी), द्वारा दिए गए सुझावों की जाँच करने हेतु इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया था जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल थे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने की तिथि (डीसीसीओ) को दो वर्ष और बढ़ाने का सुझाव शामिल है। इस कार्य दल ने वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को 20.11.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3239

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं को संकट से उबारने हेतु
योजना

3239. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने और ऊर्जा की भारी कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में विद्युत की आपूर्ति बढ़ाने हेतु निधियन और मंजूरी संबंधी बाधाओं से प्रभावित विद्युत परियोजनाओं को इस संकट से उबारने हेतु किसी योजना को अंतिम रूप देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर और विद्युत तथा वित्तीय सेवाओं के सचिवों वाले एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह का गठन करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी नहीं। तथापि, एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर (एपीपी) से प्राप्त सुझावों की जाँच करने हेतु इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया था जिसमें बैंकों/ वित्तीय संस्थानों (एफआई) से प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल थे। इस कार्य दल ने वित्तीय सेवाएं विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

****